

(प्रशासन गांवों के संग अभियान- 2021, कैम्प ~~हारी~~ ~~आखेट~~)

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर बुहाना जिला झुन्डुनू (राज0)

पीठासीन अधिकारी-

सुनील कुमार चौहान आर.ए.एस.

मिसल संख्या:- 167/2021

-:आदेश:-

दिनांक 02/11/2021

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र, प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज एवं सरपंच ग्राम पंचायत ~~हारी~~ ~~आखेट~~ व तहसीलदार बुहाना की अभिशांषा के आधार पर, राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम ~~हारी~~ ~~आखेट~~ पटवार मण्डल ~~हारी~~ ~~आखेट~~ की जमाबन्दी सम्वत् 2075-78 के खाता संख्या 45 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर तहसीलदार (भू0अ0) को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1	हारी आखेट	45	मनोहर लाल पुत्र नेत्रपुत्र कि 11 जाली कुम्हार 1456 सा. नागेश पिरये लाल कि महेन्द्र लाल श्रीराम पुत्र नेतराम (अ) जाली कुम्हार सा. नागेश पिरये लाल कि महेन्द्र लाल (अ) लाल	मनोहर लाल पुत्र नेत्रपुत्र कि 11 जाली अर्धे सा.हरी 1456 खानेवर श्रीराम पुत्र नेत्रपुत्र कि 11 जाली अर्धे लाल हारी खानेवर

नोट - रहन यदि कोई हो तो निर्णय/आदेश की पालना रहनमुक्त के पश्चात करे।

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहा.कलक्टर, बुहाना

दिनांक :- 02/11/2021

क्रमांक :- राजस्व / 2021 / 249-50

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार बुहाना को वास्ते पालनार्थ (दो प्रति)

2. प्रार्थी राजनिवास पुत्र मनोहर लाल जाली अर्धे लाल को सूचनाार्थ।

उपखण्ड अधिकारी बुहाना